(64)

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2017 निगरानी

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2613

श्री ...... द्वारा आज दि. 14/8/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 14-8-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मोतीलाल प्रजापति तनय श्री कन्हैयालाल प्रजापति ग्रम व पोस्ट शाक्तिभैरो तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. ।. ....आवेदक

विरूद्ध

~~मलखान यादव पुत्र श्री रामसेवक~~ यादव निवासी ग्रम व पोस्ट शाक्तिभैरो तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. ।

..........अनावेदक

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकलां तहसील निवाडी जिला टीकमगढ म.प्र. के रा0प0प्र0क 82/अ–12/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 30.6.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

14/8/17

माननीय महोदय ,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

<u>प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:</u>

1. यहकि , अनावेदक द्धारा चोरी चुपके वगैर हितवद्ध पक्षकार को सूचना व सुनवाई का मोका दिये एक पक्षिय रूप से ग्रम शक्तिभैरो में स्थिति भूमि सर्वे कमाक 622/1, 680/1, 687/1 रकुवा 0.227,0.172, एवं 0.493 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया जिस आवेदन पत्र पर से प्रकरण क 82/अ–12/16–17 दर्ज किया गया अधिनस्थ न्यायालय द्धारा आवेदक को कोई सूचना पत्र नही दिया गया कोई सुनवाई का मोका नही दिया गया एक पक्षिय रूप से सीमांकन की कार्यवाही की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.6.2017 से कीगई। जवकि आवेदक मेडिया कृषक है सरहदी किशान है। अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से सीमांकन प्रकिया का

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/2613 — मोतीलाल विरूद्ध मलखान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचरकलां तहसील निवाडी के सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 28.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	